न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 210/2015 वाद
GCMS No. – 2016/00211

1. श्री वरदीचन्द पिता कालु जी जाति मीणा उम्र 56 साल निवासी सॉपलिया तहसील निम्बाहेडा राज०

वादी

बनाम

1. श्री तेजाराम उर्फ तेजा पिता कालु जी जाति मीणा उम्र वयस्क नि० सॉपलिया
2. श्री नारायण पिता कालु जी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सॉपलिया
3. श्री रामलाल पिता कालु जी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सॉपलिया
4. श्री बाबुलाल पिता कालु जी जाति मीना उम्र वयस्क निर्वाची सॉपलिया
5. श्री जमनालाल पिता काल जी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सॉपलिया
6. श्री राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता वादी
2– श्री शम्भुलाल तेली – अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 5

:: निर्णय :: दिनांक :– 21.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा सापलिया तहसील निम्बाहेड़ा के साबिक आरोजी नम्बर 88 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा आराजी दिनांक 15/05/1985 खरीद कर कब्जा खास मौके पर वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया गया था। इस आराजियात के हुई पैमाईश के बाद नये खाता संख्या 46 नवीन आराजी नम्बर 129 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, नवीन आराजी नम्बर 130 रकबा 0.1000 हेक्टेयर गे० मु० चाह कुल किता दो कुल रकबा 0.6100 हेक्टेयर दर्ज राजस्व रेकार्ड हुई जिसमे वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अलम दरामद नही हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:06 IST
Reason: SelfAttested

2. वादी द्वारा जब से आराजी 2 बिघा 8 बिस्वा [illegible] प्रतिवादीगण ने तत्कालिन विक्रेता तुला उर्फ तुलसीराम मोह[illegible] निवासी सॉपलिया तहसील निम्बाहेडा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया [illegible] वादग्रस्त आराजियात [illegible] ने के बाद उस पर कॉफी लागत लगाकर उसको उपजाऊ बनाया गया, अन्य [illegible] मिट्टी लाकर डाली गई उसे काबिल काश्त बनाई और [illegible] चाई हेतु साधन किया [illegible] वर्तमान में कृषि उपयोग हेतु तैयार कर उसमें कृषि जिन्सों की उपज बिना किसी बाधा के लगातार लेता चला आ रहा है। वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की गई आराजियात वादी घोषणा कराकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का अधिकारी है कि वह वादी के द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन का उपयोग उपभोग तथा काश्त शान्तिपूर्ण रूप से करने देवें उसमें किसी प्रकार से कोई बाधा रूकावट पैदा न तो स्वयं करे न अन्य से करावें प्रतिवादी के नाम पर वादग्रस्त दो

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

बिघा आठ बिस्वा जिसका हाल ही में नवीन आराजी नम्बर 129 व 130 कुल रकबा 0. 6100 हेक्टेयर आराजियात होने से केवल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से किसी प्रकार से कोई रहन, बय, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नहीं करें और न ही राजस्व रेकार्ड में अब कोई परिवर्तन करें। इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

3. वादी द्वारा संयुक्त रूप से आराजियात खरीदी गई तब से संयुक्त कब्जा वादी एवं प्रतिवादीगण का था। बाद में जब वादी एवं प्रतिवादीगण अलग अलग हुए तब खरीदी हुई उक्त आराजियात को भी अलग अलग हक हिस्से अनुसार बटवाडा मौके पर वर्तमान में स्थित अनुसार कर लिया गया था। लेकिन जब वादग्रस्त आराजियात खरीदने के बाद तत्कालिन पटवार हल्का के पटवारी द्वारा आराजियात का नामान्तकरण दायर किया गया तब सहवन से वादी का नाम इन्तकाल में दर्ज नहीं हुआ जिससे वादी का नाम उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो सका था। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाये मिट्स एण्ड बाउण्डरस विधिवत नपती कराई जाकर बटवाडा कराये जाने का अधिकारी हैं। वादी का हक हिस्सा वादग्रस्त आराजियात से अलग दर्ज कराया जाकर लगान की फाटनी कराई जाये। वादी को अन्यत्र आराजियात खरीदने हेतु रूपयो की अत्यधिक आवश्यकता होने से बैंक से लोन लेने हेतु खरीद शुदा उक्त आराजी की नकल लेने के लिए पटवार हल्का रानीखेडा के पास गया तो जानकारी हुई की उक्त संयुक्त खरीद शुदा वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम पर दाखिल खारीज नहीं हुआ है इसलिए नकल नहीं दी गई है। तब वादी को प्रथम बार जानकारी हुई की उक्त आराजियात वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नहीं है। जबकि वादी द्वारा दिनांक 15/5/1985 को जब से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उक्त वादग्रस्त आराजियात खरीदी गई तब से बिना किसी बाधा के उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी को उक्त आराजी पर काश्त करते हुए लगभग 30 साल हो गये है। जिससे वादी उक्त वादग्रस्त आराजियात का एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुका है। इस प्रकार वादी उक्त आधार पर भी वादग्रस्त आराजियात की घोषणा कराकर अपने नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड कराये जाने का अधिकारी है।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली ने वकालतनामा एव जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 2,3,4 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से प्रतिवादी नम्बर 2,3,4 को तीन बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी नम्बर 2,3,4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का ओदश दिया गया।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया प्रतिवादीगण लोक अदालत कैम्प कोर्ट रानीखेडा में दिनांक 19.06.2017 को राजीनामा इस आशय का पेश किया कि वादी का नाम विवादित भूमि [illegible] किये जाने व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का प्रत्येक का 1/6-1/6 [illegible] इस बंटवारा किये जाने में सहमति प्रकट की है। प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] रेकार्डड खातेदार हैं जो प्रश्नगत आराजियात को संयुक्त परिवार [illegible] करते हुए सहवन से वादी का नाम दर्ज नही होना [illegible] भाई का नाम दर्ज कराना चाहते हैं। राजीनामा तस्दीक कर शामिल फाईल किया गया। वादी का दावा राजीनामे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:06 IST
Reason: SelfAttested

6. बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर व राजीनामे के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई, उभयपक्षो की बहस पर मनन करने व राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी राजीनामें अनुसार दिनांक 19.06.2017 को प्राथमिक

डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि मौजा सापलिया की खाता संख्या 46 की आराजी नं0 129 व 130 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6100 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि उपर्युक्तानुसार विवादित आराजी का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करें। यथा संभव सम्बन्धित खातेदार का हिस्सा एक चक रखा जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/622 दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सापलिया पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेडाखाता की खाता संख्या 46 की आराजी नं0 129 व 130 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6100 हेक्टेयर भूमि में श्री वरदीचन्द पिता कालू मीणा निवासी सांपलिया 1/6, उंकारलाल, गणपत, मेनु पिता बाबरू, मु. देउबाई पत्नि स्व. बाबरू मीणा निवासी सांपलिया 1/6 रहन आई.डी.बी.आई.बैंक शाखा रसुलपुरा, जमनालाल पिता कालू मीणा निवासी सांपलिया 1/6, तेजाराम उर्फ तेजा पिता कालु मीणा निवासी सांपलिया 1/6 रहन ग्राम सेवा सहकारी समिति रानीखेडा, रामलाल पिता कालु मीणा निवासी सांपलिया 1/6, श्रीमती देवीबाई पत्नि बाबूलाल उर्फ बाबरू मीणा 1/6 निवासी सांपलिया का हिस्सा घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

21/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:06 IST
Reason: SelfAttested